अध्याय 4

प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का पंजीकरण

अध्याय

4 प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम प्रत्येक नियोक्ता को अपने प्रतिष्ठान को पंजीकृत कराने और कार्य के प्रारंभ होने और पूरा होने की तारीखों, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधाओं की उपलब्धता, मजदूरी के भुगतान की आवधिकता आदि के बारे में बोर्ड को प्रतिवेदित करना अधिदेशित करता है। बोर्ड को ऐसी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए बिना, कार्य शुरू करने पर दंड लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्यकलापों में लगे कर्मकार बोर्ड द्वारा बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभों के हकदार हैं। एक कर्मकार कल्याण सुविधाओं का लाभ तभी उठा सकता है जब वह कोष के लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हो।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रतिष्ठानों और कर्मकारों के पंजीकरण में कमियों का पता चला, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

4.1 प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 7 में निर्देशित है कि निर्माण कार्य करने वाले प्रत्येक नियोक्ता को कार्य शुरू होने से 60 दिनों के अंदर संबंधित प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए पंजीकरण अधिकारी को एक आवेदन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, धारा 12 के अनुसार, प्रत्येक सन्निर्माण कर्मकार, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन 60 वर्ष पूरे नहीं किए हैं और पिछले 12 महीनों के दौरान कम से कम 90 दिनों के लिए किसी भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य में लगा हुआ है, अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।

राज्य में निर्माण गतिविधि राज्य सरकार के विभागों, राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। इसके अलावा, निजी और सरकारी भवनों के निर्माण की योजनाओं को क्रमशः स्थानीय सरकार और संबंधित विभाग के योजना अनुमोदन प्राधिकारियों[21] द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नए पंजीकृत भवन कर्मकारों की तुलना में प्रतिष्ठानों के नए पंजीकरण के संबंध में रुझान **चार्ट 4.1** में दर्शाए गए हैं।

[21] क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और नगर निगम।

चार्ट 4.1: वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नए प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का पंजीकरण

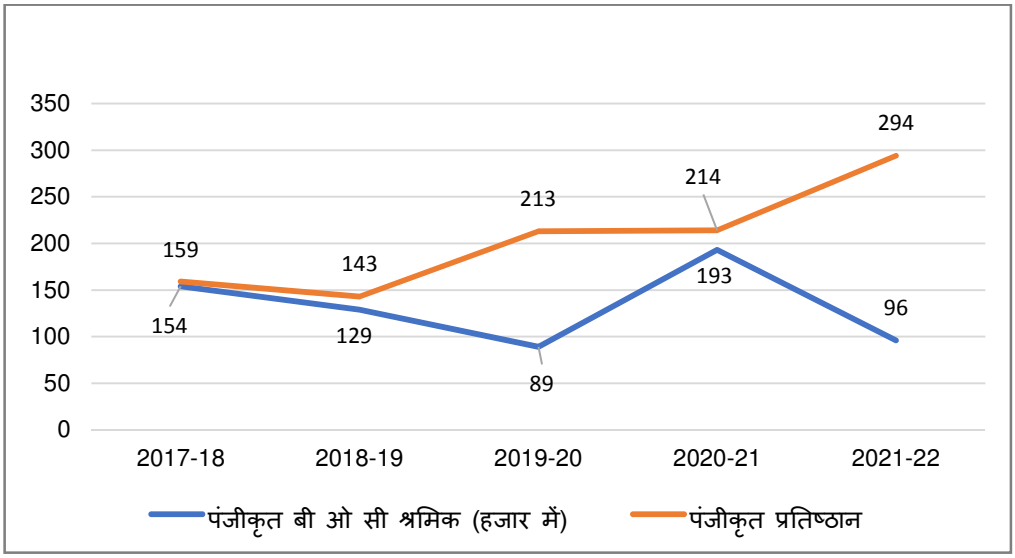

(स्रोत: जैप-आईटी और जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े)

चार्ट 4.1 से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नए पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि के साथ नए पंजीकृत कर्मकारों की संख्या वास्तव में कम हो गई थी। इसका कारण राज्य में की जा रही निर्माण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा कर्मकारों की पहचान न करना, और बोर्ड तथा प्रशासनिक विभागों के साथ-साथ योजना अनुमोदन प्राधिकरणों के बीच समन्वय की कमी को माना जा सकता है।

बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि, 24 निर्माण स्थलों/प्रतिष्ठानों (आठ पंजीकृत और 16 गैर-पंजीकृत) में सर्वेक्षण किए गए 220 कर्मकारों में से केवल 34 कर्मकार बोर्ड के साथ पंजीकृत थे, जैसा कि **कंडिका 6.1** में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा ने आगे चार[22] नमूना-जाँचित जिलों में पाया कि भवन निर्माण प्रमंडलों (बीसीडी) और पथ निर्माण प्रमंडलों (आरसीडी) ने 1,869 कार्यों[23] को निष्पादित किया था। हालांकि, प्रमंडलों ने बोर्ड के साथ प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा नहीं की थी, जैसा कि एमडब्ल्यूएस व एपी (**कंडिका 2.5** में चर्चा की गई है) के तहत आवश्यक है। संवेदकों (नियोक्ताओं) ने भी काम शुरू होने के बाद अपने प्रतिष्ठानों का पंजीकरण सुनिश्चित नहीं किया था, यद्यपि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, बोर्ड संबंधित प्रमंडलों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में भी विफल रहा, जबकि प्रमंडल बोर्ड के निर्देशों के तहत स्रोत पर श्रम उपकर की वसूली कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के निरीक्षण प्राधिकारियों ने भी इन कार्यों के प्रारंभ

[22] बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और रांची

[23] आरसीडी: 151 कार्य और बीसीडी: 1,718 कार्य

का निर्धारण करने और इन पर लगे प्रतिष्ठानों और कर्मकारों को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करवाने के लिए इन कार्यों का निरीक्षण नहीं किया।

इस प्रकार, बोर्ड भवनों और अन्य सन्निर्माण कार्यों को प्रतिष्ठानों के रूप में पंजीकृत करने और बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए इन कार्यों में लगे कर्मकारों की पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहा।

अनुशंसा 5: राज्य सरकार सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों के उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है, जिन्होंने बोर्ड के साथ नियोक्ताओं की जानकारी साझा नहीं की। राज्य सरकार बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत प्रतिष्ठानों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार/राज्य पीएसयू/स्वायत्त निकायों द्वारा किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों से संबंधित निविदा दस्तावेजों में एक खंड जोड़ने पर भी विचार कर सकती है।

4.2 प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में विलंब

झारखण्ड नियमावली के नियम 24 के अनुसार, पंजीकरण अधिकारी को किसी प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने के बाद, आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के अंदर प्रतिष्ठान का पंजीकरण करना और आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निर्गत करना अपेक्षित है।

राज्य में, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 1,023 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया था। इनमें से 412 मामलों (40 प्रतिशत) में सीओआर 15 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद निर्गत किए गए थे, जैसा कि **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: सीओआर निर्गत करने में विलंब

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकरण	विलंब से हुये पंजीकरण	विलंब (कुल पंजीकरण का प्रतिशत)				
			दो वर्ष से अधिक	एक से दो साल	90 दिन से 180 दिन	30 से 90 दिन	16 से 30 दिन
2017-18	159	69	0	2	21	22	24
2018-19	143	85	4	4	14	28	35
2019-20	213	89	4	5	14	25	41
2020-21	214	81	9	7	22	21	22
2021-22	294	88	11	4	30	20	23
कुल	**1,023**	**412**	**28 (3)**	**22 (2)**	**101 (10)**	**116 (11)**	**145 (14)**

(स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

तालिका 4.1 से यह देखा जा सकता है कि 15 प्रतिशत मामलों में (पांच प्रतिशत मामलों सहित, जिनमें विलंब एक वर्ष से अधिक का था) सीओआर निर्गत करने में 90 दिनों से अधिक का विलंब हुआ।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत प्रतिष्ठानों के रूप में सन्निर्माण कार्यों के पंजीकरण के लिए अनुबंधों/एसबीडी में अनिवार्य प्रावधानों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

आगे यह भी बताया गया कि संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षकों को अपंजीकृत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने और उचित कार्रवाई शुरू करने के अलावा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

4.3 भवन कर्मकारों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 2 (डी) ने राज्य सरकार को बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 12 के तहत कर्मकारों के पंजीकरण के लिए 'भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य' के रूप में कार्य निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया है।

झारखण्ड सरकार ने कार्यों की 54 श्रेणियों **(परिशिष्ट 4.1**) को भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के रूप में अधिसूचित किया था (अप्रैल 2011 और नवम्बर 2015)। बोर्ड ने मनरेगा कर्मकारों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के रूप में पंजीकृत करने का भी निर्णय लिया था (मार्च 2011)। इसके अतिरिक्त, संसद में प्रस्तुत (मार्च 2014) सन्निर्माण कर्मकारों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन के अनुसार, जून 2013 की स्थिति के अनुसार झारखण्ड में अनुमानित 16.99 लाख सन्निर्माण कर्मकार थे। लेखापरीक्षा ने कर्मकारों की पहचान, पंजीकरण और उन्हें पहचान पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में कमियां पाईं, जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

4.3.1 पंजीकरण के लिए कर्मकारों की पहचान

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं के आच्छादन के तहत अधिकतम कर्मकारों को लाने के लिए, एमडब्ल्यूएस व एपी ने बोर्ड को जागरूकता अभियान चलाने और प्रमुख श्रम चौकों/अड्डों पर नियमित शिविर आयोजित और सुविधा केंद्र स्थापित करके कर्मकारों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ने चार नमूना-जाँचित जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किए थे, या कोई सुविधा केंद्र स्थापित नहीं किया था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि, झारखण्ड में 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 तक क्रमशः 5.96 लाख और 12.57 लाख पंजीकृत कर्मकार थे, जो जून 2013 में संसदीय समिति की प्रतिवेदन के अनुसार 16.99 लाख कर्मकारों के अनुमानित आंकड़े से कम थे।

हालांकि, राज्य में पंजीकृत कर्मकारों की संख्या वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5.96 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12.57 लाख हो गई थी, बोर्ड ने अभी भी सभी मनरेगा कर्मकारों और अन्य श्रेणियों के कर्मकारों[24] सहित बड़ी संख्या में छूटे हुए कर्मकारों को शामिल नहीं किया था, जिन्हें कल्याण कोष के लाभार्थियों के रूप में आच्छादन किया जाना आवश्यक था।

---

[24] चौकीदार, सीवरेज कर्मी, अग्निशामक यंत्रों की स्थापना और मरम्मती, लिफ्टों, एस्केलेटर की स्थापना और मरम्मत में शामिल कर्मकार आदि।

इस प्रकार, बोर्ड कर्मकारों के पंजीकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाने और प्रमुख श्रम चौकों/अड्डों पर सुविधा केन्द्र स्थापित करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पात्र सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से वंचित रह गए।

4.3.2 विशिष्ट पहचान संख्या और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रणाली

विभाग ने राज्य में सभी पंजीकरण प्राधिकरणों को निर्देश (मई 2016) दिया था कि वे मई 2016 से केवल ऑनलाइन माध्यम से कर्मकारों को पंजीकृत करें, जो झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रोमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी[25] (जैप-आईटी) द्वारा विकसित और अनुरक्षित 'श्रमाधान'[26] नामक समर्पित वेब पोर्टल पर है। इसके अलावा, एमडब्ल्यूएस व एपी में कर्मकारों के लिए कल्याणकारी लाभों की पोर्टेबिलिटी की परिकल्पना की गई है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य को प्रत्येक सन्निर्माण कर्मकार को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आवंटित करनी चाहिए और राज्य तथा राष्ट्रीय वेब पोर्टलों पर पूरा ब्यौरा अपलोड करना चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजीकरण मार्च 2021 तक ऑफलाइन माध्यम से जारी रहा था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए नमूना-जाँचित जिलों में ऑफ़लाइन और ऑनलाइन माध्यम के तहत किए गए पंजीकरण के बारे में विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2: बीओसी कर्मकारों का पंजीकरण

वित्तीय वर्ष	रांची		धनबाद		पूर्वी सिंहभूम		बोकारो		कुल		
	ऑफ़लाइन	ऑनलाइन	ऑफ़लाइन	ऑनलाइन	ऑफ़लाइन	ऑनलाइन	ऑफ़लाइन	ऑनलाइन	ऑफ़लाइन	ऑनलाइन	कुल
2017-18	3,246	4,075	9,577	4,764	8,879	699	9,395	927	31,097	10,465	41,562
2018-19	0	7,008	6,568	5,162	12,332	967	15,180	1,399	34,080	14,536	48,616
2019-20	10,443	3,243	1,469	3,034	0	3,085	4,319	90	16,231	9,452	25,683
2020-21	11,284	3,345	0	3,626	0	3,747	0	3,192	11,284	13,910	25,194
2021-22	0	4,713	0	5,508	0	7,646	0	9,910	0	27,777	27,777
कुल	**24,973**	**22,384**	**17,614**	**22,094**	**21,211**	**16,144**	**28,894**	**15,518**	**92,692**	**76,140**	**1,68,832**

(स्रोत: जिला कार्यालयों और जैप-आईटी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

तालिका 4.2 से यह देखा जा सकता है कि 1,68,832 पंजीकरणों में से 92,692 पंजीकरण (55 प्रतिशत) ऑफ़लाइन माध्यम से किए गए थे। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से पंजीकृत किसी भी कर्मकार को यूआईएन भी प्रदान नहीं किया था।

---

[25] झारखण्ड राज्य में आईटी विकास और आईटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी।

[26] प्रतिष्ठानों के साथ-साथ सन्निर्माण कर्मकारों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक समर्पित पोर्टल। पोर्टल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करता है और योजनाओं के तहत कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों द्वारा आवेदन की सुविधा प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ऑफ़लाइन माध्यम से किए गए पंजीकरण के मामले में, पंजीकरण अधिकारियों (आरओ) ने कर्मकारों को प्रखंड-वार पंजीकरण संख्या आवंटित की थी। बोर्ड ने वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए ऑफ़लाइन पंजीकरण के आंकड़े को भी कम्प्यूटरीकृत किया था। नमूना-जाँचित चार जिलों में 1.93 लाख पंजीकृत कर्मकारों से संबंधित कंप्यूटरीकृत ऑफ़लाइन आंकड़े की जाँच से पता चला कि केवल 1,306 कर्मकारों को 2,374 पंजीकरण संख्या निर्गत किए गए थे। इन 1,306 कर्मकारों में से, 65 कर्मकारों को एक से अधिक प्रखंडों में अलग-अलग पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकृत पाया गया और 67 पंजीकरणों में एक ही आधार संख्या के साथ पंजीकृत एक से अधिक कर्मकार शामिल थे।

इस प्रकार, बोर्ड ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को यूआईएन सुनिश्चित करने में विफल रहा था, जिसके कारण विभिन्न प्रखंडों में एक ही लाभार्थी को कल्याणकारी योजनाओं का दोहरा लाभ भी हुआ था। जैसा कि **कंडिका 5.5.1** में चर्चा की गयी है।

4.3.3 कर्मकारों के पंजीकरण में विलंब

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 (सेवा की गारंटी का अधिकार अधिनियम या आरटीजीएस अधिनियम) की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी (दिसंबर 2015) की, जिसमें कहा गया है कि श्रम अधीक्षक 30 दिनों के भीतर बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत कर्मकारों को पंजीकरण की सेवा प्रदान करेगा। आरटीजीएस अधिनियम की धारा 7 में यह भी प्रावधान है कि पर्याप्त और उचित कारण के बिना, निर्धारित समय सीमा के अंदर सेवा प्रदान करने में विफलता पर ₹ 500 से ₹ 5,000 का एकमुश्त जुर्माना लगेगा।

इसके अलावा, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 12 (5) में कहा गया है कि आवेदक 30 दिनों के अंदर बोर्ड के सचिव, या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष अपील कर सकते हैं, यदि वे पंजीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान किए गए 92,692 ऑफलाइन पंजीकरणों में से, चार नमूना-जाँचित जिलों में, लेखापरीक्षा ने 300 आवेदनों (चार जिलों में से प्रत्येक से 75) की नमूना-जाँच की। यह देखा गया कि इनमें से किसी भी आवेदन पर जमा करने की तारीखों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा, पंजीकरण अधिकारियों ने इन आवेदनों की प्राप्ति को दर्ज करने या स्वीकार करने के लिए कोई पंजी का संधारण नहीं किया था। अतः लेखापरीक्षा पंजीकरण अधिकारियों द्वारा आरटीजीएस अधिनियम के अनुपालन का पता नहीं लगा सकी।

नमूना-जाँचित चार जिलों में किए गए 76,140 ऑनलाइन पंजीकरणों के मामले में, 9,546 पंजीकरण (13 प्रतिशत) निर्धारित 30 दिनों से परे 1,356 दिनों तक की विलंब के साथ पूरे किए गए थे, जैसा कि **तालिका 4.3** और **4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: कर्मकारों के पंजीकरण में विलंब

वित्तीय वर्ष	धनबाद		रांची		बोकारो		पूर्वी सिंहभूम		कुल		
	कुल पंजीकरण	विलंबित पंजीकरण	कुल पंजीकरण	विलंबित पंजीकरण	कुल पंजीकरण	विलंबित पंजीकरण	कुल पंजीकरण	विलंबित पंजीकरण	कुल पंजीकरण	विलंबित पंजीकरण	विलंब से पंजीकरण का प्रतिशत
2017-18	4,764	0	4,075	107	927	359	699	189	10,465	655	6
2018-19	5,162	3	7,008	471	1,399	162	967	112	14,536	748	5
2019-20	3,034	161	3,243	406	90	28	3,085	516	9,452	1,111	12
2020-21	3,626	404	3,345	339	3,192	264	3,747	1,458	13,910	2,465	18
2021-22	5,508	155	4,713	754	9,910	2,153	7,646	1,505	27,777	4,567	16
कुल	**22,094**	**723 (3%)**	**22,384**	**2,077 (9%)**	**15,518**	**2,966 (19%)**	**16,144**	**3,780 (23%)**	**76,140**	**9,546 (13%)**	**13**

(स्रोत: जैप-आईटी द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

तालिका 4.4: कर्मकारों के पंजीकरण में विलंब की सीमा

जिला	कुल पंजीकरण	विलंब से पंजीकरण (प्रतिशत)	विलंब (प्रतिशत)				
			400 से अधिक दिन	301 से 400 दिन	201 से 300 दिन	101 से 200 दिन	31 से 100 दिन
बोकारो	15,518	2,966 (19)	8	29	41	95	2,793
धनबाद	22,094	723 (3)	0	0	8	33	682
पूर्वी सिंहभूम	16,144	3,780 (23)	81	21	84	218	3,376
रांची	22,384	2,077 (9)	99	192	84	128	1,574
कुल	**76,140**	**9,546 (13)**	**188 (2%)**	**242 (3%)**	**217 (2%)**	**474 (5%)**	**8,425 (88%)**

(स्रोत: जैप-आईटी द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

तालिका 4.3 और **4.4** से यह देखा जा सकता है कि इन वर्षों में पंजीकरण में विलंब बढ़ गया था। इसके अलावा, अन्य जिलों की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले में विलंब बहुत अधिक थी। यह भी देखा जा सकता है कि 430 कर्मकारों के पंजीकरण आवेदनों को 300 दिनों से अधिक विलंब के बाद मंजूरी दी गई थी।

आगे यह भी देखा गया कि आरटीजीएस अधिनियम के तहत विलंब के मामलों में 30 दिनों के अंदर पंजीकरण या दंड के प्रावधान या पंजीकरण अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील के संबंध में प्रावधान को बड़े पैमाने पर हितधारकों को जानकारी देने के लिए प्रचारित नहीं किया गया था, ताकि वे इस संबंध में अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें। इन प्रावधानों का कोई उल्लेख न तो वेब पोर्टल 'श्रमाधान' पर, न ही बोर्ड द्वारा वितरित किए जा रहे पैम्फलेट में उपलब्ध पाया गया।

इस प्रकार, बोर्ड ने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि सभी पंजीकरण निर्धारित अवधि के भीतर पूरे किए गए हों, न ही इसने कर्मकारों के बीच बिना किसी अनुचित विलंब के स्वयं को पंजीकृत करने के उनके अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा की थी।

4.3.4 आयु का पता लगाए बगैर कर्मकारों का पंजीकरण

झारखण्ड नियमावली के नियम 276 के साथ पठित बीओसीडब्लू अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच का प्रत्येक सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष की सदस्यता के लिए पात्र है। कर्मकारों को पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ आयु के समर्थन में तीन निर्धारित दस्तावेजों[27] में से कोई एक प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने 300 लाभार्थियों (नमूना-जाँचित चार जिलों में से प्रत्येक से 75) के आवेदनों की जाँच की, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान ऑफ़लाइन पंजीकरण किया था, और निम्नलिखित कमियाँ पायी:

- आयु के समर्थन में निर्धारित दस्तावेज 300 आवेदनों में से किसी के साथ संलग्न नहीं पाया गया। इसके बजाय, आधार कार्ड की प्रतियां (जो उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेजों की निर्धारित सूची का हिस्सा नहीं थीं) आवेदनों के साथ संलग्न पाई गईं। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कुछ आधार कार्डों में केवल जन्म का वर्ष दर्शाया गया है न कि सही जन्म तिथि।

- बोर्ड ने वेब पोर्टल 'श्रमाधान' के माध्यम से केवल ऑनलाइन माध्यम से सन्निर्माण कर्मकारों को पंजीकृत करने का निर्णय लिया था (मई 2016)। पोर्टल कर्मकारों को सहायक दस्तावेजों को अपलोड करके बैंक खातों, आधार संख्या, जन्म तिथि, पेशा आदि के विवरण के साथ स्वयं को पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। इन ब्यौरों को अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाना था और संबंधित पंजीकरण अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाना था, जिसके बाद विशिष्ट पंजीकरण संख्या वाले पहचान पत्र तैयार किए जाने थे।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पोर्टल में अपात्र कर्मकारों को ऑनलाइन आवेदन करने से प्रतिबंधित करने के लिए कोई सत्यापन नियंत्रण नहीं था, जो 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग में नहीं थे। नमूना-जाँचित चार जिलों में ऑनलाइन पंजीकरण आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि पंजीकरण तिथि को 91 पंजीकृत कर्मकारों की आयु 18 वर्ष से कम थी, जबकि 106 कर्मकारों की आयु 60 वर्ष से अधिक थी।

इस प्रकार, पंजीकरण अधिकारी कर्मकारों की आयु से संबंधित आवश्यकताओं के उचित सत्यापन के बिना पंजीकरण कर रहे थे।

4.3.5 पेशे की पुष्टि किए बगैर कर्मकारों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार, एक सन्निर्माण कर्मकार, जो पिछले 12 महीनों के दौरान कम से कम 90 दिनों के लिए किसी भी भवन और अन्य

[27] (i) स्कूल रिकॉर्ड (ii) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र और (iii) एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सहायक सिविल सर्जन या सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे नहीं।

सन्निर्माण कार्य में लगा हुआ है, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए पात्र है। इसके अलावा, झारखण्ड नियमावली के नियम 276 (3) में प्रावधानित है कि, रोजगार के समर्थन में: (i) नियोक्ता या ठेकेदार से एक प्रमाण पत्र या (ii) पंजीकृत निर्माण कर्मकार संघों द्वारा जारी प्रमाण पत्र या (iii) संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त/उप-श्रम आयुक्त द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है।

- चार नमूना-जाँचित जिलों में 300 पंजीकृत कर्मकारों के आवेदनों की नमूना-जाँच से पता चला कि उनके आवेदनों पर पेशे के विरुद्ध 'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों' को क्षेत्र 'व्यवसाय' के विरुद्ध दर्ज किया गया था। तथापि, इन लाभार्थियों[28] में से 176 की बैंक पासबुक में उनके पेशे का उल्लेख छात्रों, गृहणियों; कृषि अथवा निजी व्यवसाय में लगे व्यक्तियों; और स्व-नियोजित व्यक्तियों आदि के रूप में दर्शाया गया था। इन 300 लाभार्थियों में से केवल 111 लाभार्थियों ने पेशे के समर्थन में निर्धारित दस्तावेज जमा किए थे। शेष 189 लाभार्थियों ने या तो कोई दस्तावेज जमा नहीं किया था, या अपने पेशे के बारे में स्व-प्रमाण पत्र जमा किए थे। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, 400 पंजीकृत कर्मकारों में से 20 बुनकरों/गृहिणियों/दर्जी के रूप में कार्यरत पाए गए या कृषि में लगे हुए पाए गए थे (**परिशिष्ट 4.2**), लेकिन उन्हें सन्निर्माण कर्मकारों के रूप में पंजीकृत किया गया था।

- चार नमूना-जाँचित जिलों में से दो में, पंजीकृत कर्मकार संघ या नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्रों द्वारा 111 आवेदनों[29] को समर्थित (किसी भी भवन और अन्य निर्माण कार्य में लगे दिनों की संख्या) पाया गया। तथापि, पूर्वी सिंहभूम में यह देखा गया कि मनरेगा जॉब कार्डों के प्रथम पृष्ठ, जिनसे रोजगार के दिन सत्यापित नहीं किए जा सकते थे, 39 आवेदनों के साथ संलग्न किए गए थे। इसके अलावा, रांची और बोकारो में, सभी 150 आवेदनों को कार्य के नाम का उल्लेख किए बिना रोजगार के स्व-प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया गया था। रांची के 16 आवेदनों में कर्मकारों ने स्वयं घोषणा की थी कि उन्होंने केवल 67 से 89 दिनों के लिए काम किया था, जो पंजीकरण के लिए आवश्यक 90 दिनों से कम था।

इस प्रकार, अपात्र कर्मकारों के लिए पंजीकरण और लाभों के विस्तार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कर्मकारों को यह सुनिश्चित किए बिना पंजीकृत किया गया था कि वे पेशे या रोजगार के दिनों की संख्या के बारे में निर्धारित शर्तों को पूरा करते थें।

4.3.6 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए पंजीकरण हेतु अपूर्ण पहचान

विभाग ने बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के सभी लाभ डीबीटी के माध्यम से प्रदान करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2016)। तदनुसार, बोर्ड ने सभी सहायक श्रम आयुक्तों

[28] रांची: 48, धनबाद: 54, पूर्वी सिंहभूम: 40 और बोकारो: 34।

[29] धनबाद: 75 और पूर्वी सिंहभूम: 36.

और श्रम अधीक्षकों को निर्देश दिया (मई 2016) कि वे बोर्ड द्वारा बनाए गए डेटाबेस में लाभार्थियों के विवरण को उनके आधार नंबर और बैंक खातों के साथ अद्यतन करें, ताकि डीबीटी को लागू किया जा सके।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड डीबीटी माध्यम से लाभ प्रदान नहीं कर रहा था (दिसंबर 2022 तक)। इसके बजाय, मार्च 2022 तक एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि स्थानांतरित करके विभिन्न योजनाओं (शर्ट-पैंट के कपड़े और साड़ी के वितरण को छोड़कर) के तहत सहायता प्रदान की जा रही थी।

लेखापरीक्षा ने 2,52,723 लाभार्थियों के कम्प्यूटरीकृत डेटा का विश्लेषण किया, जो राज्य में 31 मार्च 2022 तक ऑफ़लाइन माध्यम से पंजीकृत थे, ताकि उनके आधार नंबर और बैंक खाते की उपलब्धता का पता लगाया जा सके। निष्कर्षों को **चार्ट 4.2** में संक्षेपित किया गया है:

चार्ट 4.2: लाभार्थियों के आधार और बैंक खाते की उपलब्धता की स्थिति

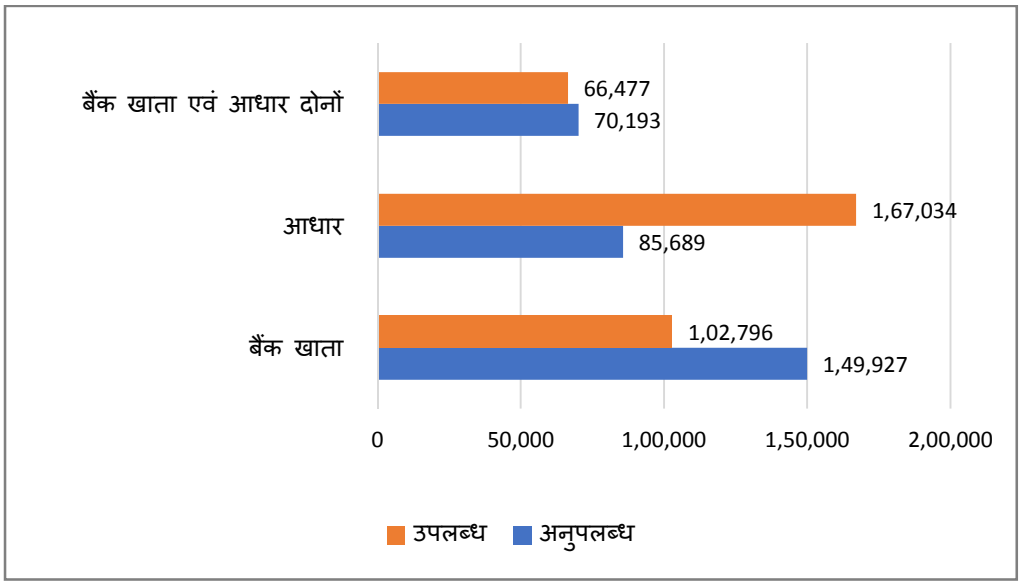

(स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

तालिका 4.2 से यह देखा जा सकता है कि आधार संख्या और बैंक खाते दोनों केवल 66,477 (26 प्रतिशत) लाभार्थियों के लिए उपलब्ध थे। 85,689 लाभार्थियों (34 प्रतिशत) के लिए आधार विवरण उपलब्ध नहीं थे, 1,49,927 लाभार्थियों (59 प्रतिशत) के लिए बैंक विवरण उपलब्ध नहीं थे और 70,193 लाभार्थियों (28 प्रतिशत) के लिए बैंक विवरण और आधार विवरण उपलब्ध नहीं थे।

बैंक खाता विवरण के अभाव में, 59 प्रतिशत लाभार्थियों को एनईएफटी के माध्यम से भी लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, बोर्ड 74 फीसदी लाभार्थियों के आधार और बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करने में विफल रहा था, जबकि ये विवरण डीबीटी माध्यम से लाभ प्रदान करने के लिए आवश्यक थे।

अनुशंसा 6: बोर्ड वेब पोर्टल में ऑफलाइन डेटाबेस के एकीकरण में तेजी ला सकता है, जिसमें आधार संख्या और आधार के साथ मैप किए गए बैंक खातों सहित सभी पहचान शामिल हों।

4.3.7 पंजीकृत कर्मकारों की प्रतिवेदित संख्या में विसंगतियां

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार, एक भवन सन्निर्माण कर्मकार, जिसे बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया है, अगर वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, या जब वह भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में वर्ष में कम से कम नब्बे दिनों के लिए नहीं लगा होता है, तो वह पंजीकृत कर्मकार नहीं रह जाएगा। इसके अलावा, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 57 में निर्धारित है कि, बोर्ड को समय-समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हैं जैसी उनकी आवश्यकता होगी।

बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बोर्ड को पंजीकृत कर्मकारों की मासिक विवरणियां प्रस्तुत करनी थीं। आंकड़ों के संकलन के बाद, बोर्ड को तिमाही आधार पर भारत सरकार की निगरानी समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी थी। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अनुसार, मार्च 2022 तक राज्य में 12.57 लाख पंजीकृत कर्मकार थे।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि जुलाई 2008 में अपनी स्थापना के बाद से बोर्ड ने मार्च 2022 तक 3,589 पंजीकृत कर्मकारों के संबंध में मृत्यु पर सहायता लाभ का भुगतान किया था। इसके अलावा, चार नमूना-जाँचित जिलों में, 10,710 पंजीकृत कर्मकार थे, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। तथापि, बोर्ड की प्रतिवेदनों में कर्मकारों की उपर्युक्त श्रेणियों में पंजीकृत पाया गया था।

इस प्रकार, बोर्ड कर्मकारों के पंजीकरण विवरण की समीक्षा करने में विफल रहा था, जिनकी बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधानों के तहत सदस्यता समाप्त होने वाली थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि जिलों के सभी श्रम अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे नगर निगमों के तहत सूचीबद्ध एजेंसियों और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यालयों के साथ, बड़े निर्माण-स्थलों/कर्मकारों के जमावड़े वाले महत्वपूर्ण स्थलों/ चौक/ अड्डों पर बोर्ड की योजनाओं के विज्ञापन दर्शाने वाले तख्तों/ होर्डिंग्स लगाने के लिए समन्वय स्थापित करे। आगे यह भी बताया गया कि सचिव, बीओसीडब्ल्यू बोर्ड ने पंजीकरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के बाद पंजीकरण के लिए आवेदनों का समय पर निपटान के लिए निर्देश जारी किए थे कि अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्धारित अपेक्षित पात्रता पूरी की गई है। वर्तमान में, पंजीकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, जिसके लिए आधार और बैंक खाता संख्या अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए आधार और बैंक खाता संख्या के अद्यतन के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं जो पहले ऑफलाइन माध्यम से किए

गए थे। इसके अलावा, जिलों के सभी श्रम अधीक्षकों को बोर्ड की स्थापना के बाद से 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सक्रिय/निष्क्रिय कर्मकारों और मृत्यु लाभ प्राप्त करने वाले कर्मकारों की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। संकलित आंकड़ों को एसएसी और बोर्ड के समक्ष उनके पंजीकरण की स्थिति पर उचित निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुशंसा 7: वेब पोर्टल के डेटाबेस को समय-समय पर उन पंजीकृत कर्मकारों के संबंध में अद्यतन किया जा सकता हैं, जिन्होंने पेंशन योग्य आयु प्राप्त कर ली है, जिनकी मृत्यु हो गई अथवा जो बीओसी कर्मकार नहीं रह गए थे।

4.4 अंशदान का गैर-भुगतान

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 16(1) में पंजीकृत लाभार्थी द्वारा अंशदान के भुगतान की परिकल्पना की गई है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 17 निर्देशित करता है कि, एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए अंशदान का भुगतान न करने से लाभार्थी के रूप में योग्यता तबतक समाप्त रहेगी, जब तक कि बोर्ड के सचिव लाभार्थी द्वारा अंशदान के भुगतान नहीं किए जाने के उचित कारणों से संतुष्ट होकर उसे इस शर्त के साथ कि कर्मकार बकाया राशि के भुगतान करने के लिए तैयार था, उसे पुनः बहाल नहीं कर देता। राज्य सरकार ने अधिसूचित (सितम्बर, 2011) किया था कि प्रत्येक पंजीकृत लाभार्थी को कल्याण कोष में ₹ 100 वार्षिक या ₹ 50 अर्ध-वार्षिक की दर से अंशदान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जाँचित जिलों में बड़ी संख्या में पंजीकृत कर्मकार नियमित रूप से वार्षिक अंशदान का भुगतान नहीं कर रहे थे, जैसा कि **तालिका 4.5** में दिखाया गया है।

तालिका 4.5: अंशदान की स्थिति

वित्तीय वर्ष	योगदान देने वाले कर्मकारों का विवरण									
	रांची		धनबाद		बोकारो		पूर्वी सिंहभूम		कुल	
	भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने वाले कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने वाले कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने वाले कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने वाले कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने वाले कर्मकारों की संख्या (प्रतिशत)
2017-18	21,581	1,012	42,458	16,750	45,406	2,220	42,585	3,699	1,52,030	23,681 (16%)
2018-19	28,902	314	56,817	24,136	55,563	9,536	53,329	2,173	1,94,611	36,159 (19%)
2019-20	34,955	1,950	68,582	2,251	70,958	285	68,109	3,032	2,42,604	7,518 (3%)
2020-21	48,641	5,913	74,391	0	75,353	1,471	70,587	4,283	2,68,972	11,667 (4%)
2021-22	63,270	5,116	74,391	4,386	78,492	1,357	73,587	544	2,89,740	11,403 (4%)

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

तालिका 4.5 से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान केवल तीन से 19 प्रतिशत कर्मकारों ने अपने वार्षिक अंशदान का भुगतान किया था। वर्षों से भुगतान करने वाले सदस्यों की संख्या में उल्लेखनीय कमी के बावजूद, न तो बोर्ड और न ही क्षेत्रीय कार्यालयों ने कर्मकारों को कल्याण कोष में नियमित रूप से अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

4.5 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पहचान पत्रों का निर्गत नहीं होना

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, बोर्ड को प्रत्येक लाभार्थी को एक पहचान पत्र देना था, जिस पर उसकी तस्वीर विधिवत चिपकाई गई हो, और उसके द्वारा किए गए भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों के विवरण दर्ज करने के लिए पर्याप्त जगह हो। प्रत्येक नियोक्ता को पहचान पत्र में लाभार्थी द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा दर्ज करना और उसे प्रमाणित करना अपेक्षित था। एमडब्ल्यूएस व एपी में यह भी निर्धारित है कि पंजीकरण अधिकारियों को पासबुक या रोजगार डायरी के रूप में पहचान पत्र प्रदान करना था, ताकि उसमें रोजगार विवरण दर्ज किया जा सके।

निर्गत किए गए पहचान पत्रों में उपलब्ध रोजगार के विवरण का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने 300 पहचान पत्रों (नमूना-जाँचित चार जिलों में से प्रत्येक से 75) की जाँच की, जिसमें ऑफ़लाइन पंजीकरण के बाद निर्गत किए गए 200 कार्ड और ऑनलाइन पंजीकरण के बाद निर्गत किए गए 100 कार्ड शामिल थे। यह देखा गया कि, ऑफ़लाइन पंजीकरण के मामले में, एक पृष्ठ (पत्रक) हार्ड कार्ड जारी किया गया था, जिसमें लाभार्थी का विवरण[30], लाभार्थी की तस्वीर और पंजीकरण अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर थे। ऑनलाइन पंजीकरण के मामले में, पहचान पत्र स्मार्ट कार्ड के रूप में थे, जिसमें लाभार्थी के विवरण और तस्वीरें थीं। विभिन्न प्रकार के निर्गत पहचान पत्रों को **चित्र 3** से **8** में दिखाया गया है।

[30] नाम, जन्म तिथि, पिता/पति का नाम, सेवानिवृत्ति की तारीख, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

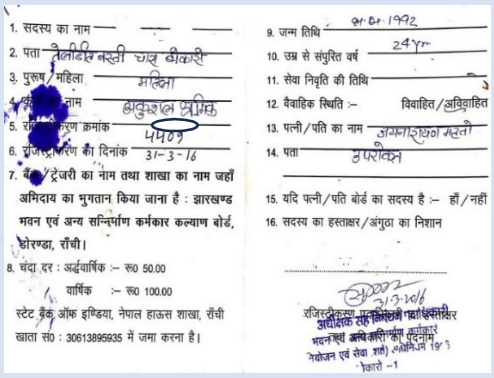

चित्र 3

चित्र 4

ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से निर्गत पहचान पत्र

चित्र 5

चित्र 6

ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से निर्गत पहचान पत्र

चित्र 7

चित्र 8

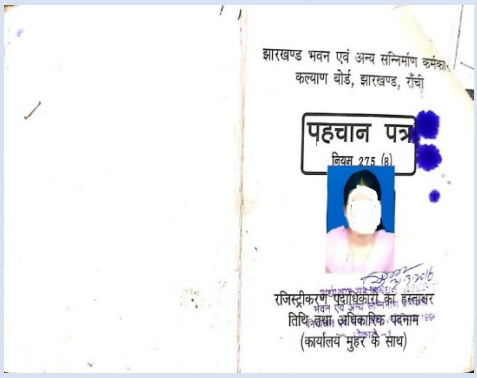

ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से निर्गत पहचान पत्र

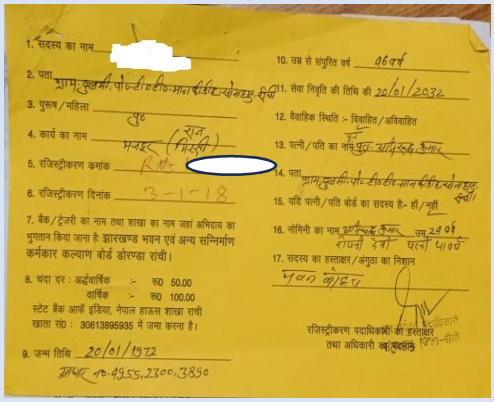

ऊपर की चित्रों से, यह स्पष्ट है कि पहचान पत्र पासबुक या रोजगार डायरी के रूप में निर्गत नहीं किए गए थे, ताकि कार्ड पर रोजगार के विवरण को दर्ज करना सुनिश्चित की जा सके, इस उद्देश्य से कि कर्मकार भवन या अन्य सन्निनिर्माण कार्य में अपेक्षित दिनों के लिए नियोजित था। इसके अलावा, निर्माण कार्य में कर्मकार के कार्यरत दिवसों की संख्या दर्ज करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

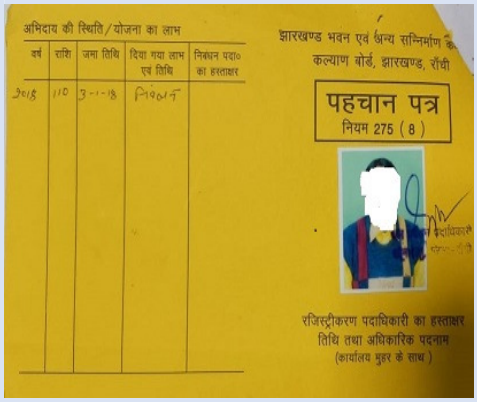

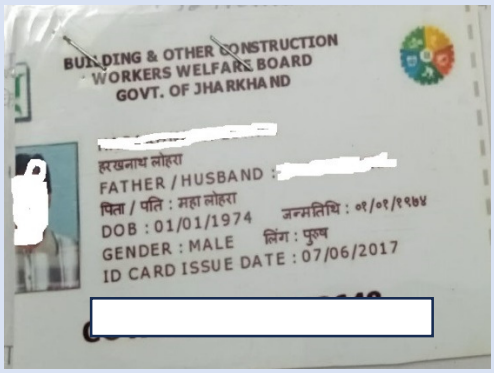

इस प्रकार, बोर्ड ने अपेक्षित प्रपत्र में पहचान पत्र निर्गत नहीं किए थे, जिसमें कार्य दिवसों की संख्या दर्ज करने के लिए पर्याप्त स्थान हो, ताकि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिनों के लिए पंजीकृत कर्मकारों की नियुक्ति, जो निधि की सदस्यता को जारी रखने के लिए आवश्यक थी, का सत्यापन किया जा सके।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (अक्टूबर 2023) कि पहचान पत्र स्मार्ट कार्ड के रूप में निर्गत किए जाते हैं। तथापि, पासबुक/रोजगार डायरी के रूप में पहचान पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव उपयुक्त निर्णय हेतु बोर्ड/एसएसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगे यह भी कहा गया कि कर्मकारों को राज्य स्तरीय विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की जा रही है जो राष्ट्रीय पोर्टल 'ई-श्रम' पर अपलोड किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

अनुशंसा 8: बोर्ड पासबुक या रोजगार डायरी के रूप में कर्मकारों को पहचान पत्र निर्गत करना सुनिश्चित कर सकता है, जिसमें नियोक्ताओं के लिए कर्मकारों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दर्ज करने हेतु पर्याप्त स्थान हो। पंजीकृत कर्मकारों को लाभ के प्रावधान को पहचान पत्रों में दर्ज कार्यों के ब्यौरे के साथ जोड़ा जा सकता है।